भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3313
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

विधि इंटर्नशिप कार्यक्रम

+3313. श्री नायब सिंह सैनी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों अथवा अन्य विधायी निकायों के साथ इंटर्नशिप पूरी कर चुके अथवा कर रहे विधि के छात्रों की क्षमता का उपयोग करने की कोई ठोस योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की नीति निर्माण में लॉ इंटर्न का उपयोग करने की कोई भावी योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रभावी मूल्यवान अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए विधिक इंटर्नशिप कार्यक्रम को और अधिक उपयोगी बनाने तथा उनके योगदान को अधिक उपयोगी/सार्थक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : जी नहीं।

(ग) से (घ) : वर्तमान में, नीति बनाने के क्षेत्र में, विधि प्रशिक्षुओं का उपयोग करने के लिए अवलोकन की ऐसी कोई योजना नहीं है।

****